जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर
159/2016

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील सूचना अधिकार संख्या 159/2016 अनवानी बुलाकीराम पुत्र छोटमल जाति ब्राहमण निवासी कुम्हारो की मोड, लक्ष्मीनाथ रोड, गंगाशहर बीकानेर बनाम तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ

21-03-2017

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री बुलाकीराम उपस्थित नही है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री बुलाकीराम ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 13.08.2016 के द्वारा तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ से निम्न सूचना चाही थीः-

> 1. चक 4 जेएम तहसील अनूपगढ का मु0न0 183/11, 183/12, 183/13, 183/19, 183/20, 183/27, 183/28, 183/29, की कुल 141 बीघा कृषि भूमि है किस नाम से राजस्व रिकार्ड में कृषि भूमि दर्ज है, व वर्तमान में काबिज काश्त करने वाले का नाम व पता, उक्त कृषि भूमि पर वह किस अधिकार से कब्जा काश्त कर रहा है दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतिलिपि उपलब्ध करावे। (वर्तमान कब्जा काश्तकार के दस्तावेज उक्त कृषि भूमि से सम्बन्धित)
> 2. सम्वत 2041-44 रिकार्ड खसरा गिरदावरी मुताबिक उक्त कृषि भूमि खातेदार से गैरखातेदार इन्तकाल न0 6 द्वारा राजस्व रिकार्ड में दर्ज किया है की प्रमाणित प्रति।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील इस आधार पर प्रस्तुत की है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत तहसीलदार (राजस्व) अनूपगढ से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है जो उसे निशुल्क उपलब्ध करवाये जाने का आदेश दिया जावे एवं लोक सूचना अधिकारी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे।

अपीलार्थी के अपील पत्र पर तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ ने अपना प्रतिवेदन सं0 4206 दिनांक 09.11.2016 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना पत्र सं0 भू0अ0/2016/2648 दिनांक 09.09.2016 के द्वारा प्रार्थी द्वारा बताये गये पते पर भेजी गई थी परन्तु प्रार्थी द्वारा अंकित पता सही ना होने के कारण डाक विभाग द्वारा डाक वापिस लौटा दी गई है।

तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ द्वारा पत्र सं0 2648 दिनांक 09.09.16 से अपीलार्थी को बुलाकीराम पुत्र छोटमल जाति ब्राम्हण निवासी कुम्हारो की मोड़, लक्ष्मीनाथ रोड़, गंगाशहर, बीकानेर के पते पर निम्नानुसार उत्तर भिजवाया गगया हैः-

> उपरोक्त विषयान्तगर्त पत्र के सन्दर्भ में लेख है कि चक 4 जेएम के मु0न0 183/11, 183/12, 183/13, 183/19, 183/20, 183/27, 183/25, 183/24 कुल 31.069 है कमांड मुताबिक राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी ए.यू. आमर सुब्राहिमनियम लालगट पलेस बीकानेर अस्थाई पटा धारक पीं-55 गैर खातेदार दर्ज है मुताबिक पटवारी रिपोर्ट वर्तमान में उक्त रकबा पर जगमेल सिंह पुत्र बचन सिंह सा0 31 बीबी, राजविन्द्र सिंह पुत्र जगमेलसिंह सा. 31 बीबी, कालासिंह-गोरासिंह पि0 हरनेक सिंह सा. मानुका, रमनदीपसिंह पुत्र हरपाल सिंह सा. 31 बीबी, छोटासिंह-मेजरसिंह पि0 जरनैलसिंह सा.मौजगढ, हरदेवसिंह पुत्र जंगीरसिंह सा. 4जेएम, शिवराज पुत्र जगमेलसिंह सा. 31बीबी जाति जटसिख जरिये बैयनामा व इकरारनामा के आधार पर काश्त कर रहे है। यदि आपको बैयनामा की प्रमाणित प्रतिलिपि चाहिए तो आप सम्बन्धित कार्यालय से प्राप्त कर सकते है राजस्व रिकार्ड की नकल कार्यदिवस में उपस्थित होकर पटवारी या तहसील कार्यालय से निधारित शुल्क जमा करवाकर प्राप्त कर सकते है।

जिला कलेक्टर

चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांओ के संबंध में तहसीलदार, अनूपगढ द्वारा उसे दिनांक 09.09.16 को उक्तानुसार उत्तर भिजवाया गया था जो निर्धारित समय अवधि में भिजवाया गया है। किन्तु अपीलार्थी द्वारा अंकित पता सही नही होने के कारण डाक वापिस उनके कार्यालय में प्राप्त हो गई। अपीलार्थी द्वारा अपील प्रस्तुत करने पर भी उसे रजि0 नोटिस सुनवाई के लिए भिजवाया गया था किन्तु अपीलार्थी इस न्यायालय में भी सुनवाई के लिए उपस्थित नही आया है। इस प्रकार तहसीलदार, अनूपगढ द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उत्तर सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। आदेश की प्रति लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार (भू.अ.) अनूपगढ़ को पालनार्थ भेजी जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

719-20
31/3/17

आदेश आज दिनांक 21.03.2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर